

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक. 1951 / 2017

भोपाल, दिनांक 22 / अप्रैल, 2017

// औचित्यता //

वर्तमान में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार की स्थायी सुविधा भोपाल में उपलब्ध नहीं है। विधि विभाग द्वारा समय-समय पर नवनियुक्त न्यायाधीशों एवं कार्यशील अन्य न्यायाधीशों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस उद्देश्य से एक प्रशिक्षण भवन तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले न्यायाधीशों के लिए हॉस्टल (अस्थायी निवास) निर्मित किया जाना है।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
District & Session Judge
भोपाल (म.प्र.)
Bhopal (M.P.)